न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 11/2016 (RCMS No. 2016/00031)

प्रार्थीगण

1. मंगली देवी पत्नी स्व. जोधाराम जाति कुम्हार उम्र 100 वर्ष
2. तुलछीराम पुत्र स्व. जोधाराम जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष
3. पूरणमल पुत्र स्व. जोधाराम जाति कुम्हार उम्र 65 वर्ष निवासीयान मेड़ी का बास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सम्पति देवी पत्नी स्व. रामदेव
2. गोपाल पुत्र स्व. रामदेव
3. सूरज पुत्र स्व. रामदेव जाति समस्त कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी जिला नागौर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)
5. उप पंजियक, कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 30-10-19

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम पनवाड़ी में स्वर्गीय जोधराम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार की सहखातेदारी का खेत गत खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में 12 बीघा 03 बिस्वा हिस्सा था, रीसेटलमेंट होने पर इस खसरे के नये खसरा नम्बर 288 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 289 रकबा 5.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा 292 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 3.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 3.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2[illegible] रकबा 0.04 हैक्टर, कुल किता 8 कुल रकबा 12.03 हैक्टर हो गये तथा इन खसरों में जोधाराम पुत्र नाथूराम का हिस्सा 1.93 हैक्टर हो गया, जोधाराम का स्वर्गवास हो गया, जोधाराम मिताक्षरा हिन्दू लॉ से शासित होता था इसलिये उसके वारिसान प्रार्थी सं. 1 उसकी पत्नी मंगलीदेवी, प्रार्थी सं. 2 व 3 उसके पुत्र तुलछीराम एवं पूरणमल है जो इस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण है, अतः राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के अन्तर्गत मंगलीदेवी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तुलछीराम व पूरणमल खातेदार उत्तराधिकार से हो गये एवं आज भी काबिज खातेदार है, अप्रार्थी स. 1 ता 3 ने अपने आपको जोधाराम पुत्र नाथुराम के वारिसान बताते हुए अपने नाम पटवारी हल्का से मिलकर गलत उत्तराधिकार के आधार पर गलत नामान्तरकरण सं. 105 अंकित करा लिया। स्व. जोधाराम के एक पत्नी प्रार्थी सं. 1 है, बींजादेवी नाम की कोई पत्नी नही थी और न ही रामदेव नाम का कोई पुत्र था इसलिए अप्रार्थीगण सम्पती देवी, गोपाल व सूरज जोधाराम के वारिस नही है, उनके नाम गलत म्यूटेशन पटवारी हल्का ने किया, परन्तु गलत म्यूटेशन से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को कोई अधिकार नही मिलते, प्रार्थीगण उनके विरूद्व फौजदारी कार्यवाही करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते है, प्रार्थीगण स्व. जोधाराम के उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदार काश्तकार है एवं उनके अधिकार कानूनन सुरक्षित है,फर्जी राजस्व रेकर्ड के आधार पर उनके अधिकार प्रभावित नही होते, अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने अन्य सहखातेदारो के साथ मिलकर आपसी सहमति से बंटवारा किया है जिसकी प्रार्थीगण की जानकारी नही थी तथा न ही प्रार्थीगण को कोई सूचना दी गई इसलिए प्रार्थीगण इस बंटवारे से पाबंद नही है और न ही यह बंटवारा प्रार्थीगण के अधिकारों को प्रभावित करता है, परन्तु अप्रार्थी सं. 4 ने पैरा सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त खसरो के नम्बर व रकबे बदले जो इस प्रकार हैः– खसरा नम्बर 289 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 416/289 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 419/294 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 417/289 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 420/294 रकबा 0.35 हैक्टर। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 गलत राजस्व रेकर्ड की स्थिति का दुरूपयोग कर उपरोक्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है और इसी दृष्टिकोण से उन्होने संयुक्त खातेदारी का बंटवारा करवाया है, अप्रार्थी सं. 1 ता 3 गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर बेचान करने पर उतारू है एवं उप पंजीयक रेकर्ड की प्रविष्टि को देखकर ही बेचान पंजीयन करते है, उक्त भूमि को बेचान करने की जानकारी प्रार्थीगण को कु[illegible] भूमि को देखने आने पर हुई तब प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड चीक न[illegible] प्रा[illegible] की, म्यूटेशन की नकल प्रार्थीगण को दिनॉक 08.02.2016 को [illegible] दिनांक 09.02.2016 को प्राप्त हुई तब प्रार्थीगण को फर्जी नामान्तरकरण अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के तथ्यों की जानकारी हुई, गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर उक्त भूमि बेचान करने की धमकी अप्रार्थी 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण को दी गई है तथा उपरोक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:47 IST
Reason: SelfAttested

......3......

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

किसी भू–माफिया संगठन अन्य किसी संस्था के नाम विक्रय पत्र बख्शीश पत्र व रहननामा इत्यादि कर देगें ऐसा करने में अप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी एवं प्रार्थीगण के मुकदमेंबाजी में उलझ जायेंगे एवं जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहस प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 289 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 416/289 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 419/294 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 418/294 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 417/289 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 420/294 रकबा 0.35 हैक्टर कुल रकबा 12.03 हैक्टर को किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित नही करे तथा न प्रार्थीगण को बेदखल करे एवं विरूद्व अप्रार्थी सं. 5 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा उक्त खसरो के सम्बन्ध में हस्तानान्तरण दस्तावेज पेश किये जाने पर उसका पंजीयन नही करें एवं विरूद्व अप्रार्थी सं. 4 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त खसरो के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल की नकल, खतौनी सम्वत 2015–2023, 2024–2027, 2028–2031, 2031–2034, 2035–2038, 2039–2042, 2047–2050, 2052–2055, 2056–2059, 2064–2067, पहचान पत्र की छाया प्रति, नामान्तरकरण सं. 105 की नकल प्रस्तुत की है। अप्रार्थी वकील द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2068–2017, वोटरलिस्ट 1990 नगरपालिका निर्वाचक नामावली की प्रति, खसरा मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी नये खसरा नम्बर सम्वत 2050–53, 2030–33, 2037–40, 2039–2042, पर्चा भू–प्रब[illegible].03.1953 की प्रति, जोधाराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, तीजादेवी [illegible] प्रमाण–पत्र की प्रति, रामदेव के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, [illegible] लेख सं. 268 18.06.2013 की प्रति प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:47 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि जोधाराम पुत्र नाथुराम का स्वर्गवास दिनॉक 25.07.1983 को हो गया उसकी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तीजुड़ी का स्वर्गवास दिनॉक 22.10.1992 को हो गया तथा पुत्र रामदेव का स्वर्गवास दिनॉक 19.06.1990 को हो गया था, अप्रार्थीगण 1 से 3 सम्पति देवी रामेदव की पत्नी है तथा गोपाल व सुरज पुत्र है, यह स्व. जोधाराम, स्व. तिजुड़ी व स्व. रामदेव के उत्तराधिकारी वारिसान है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 40 के तहत स्वर्गीय जोधाराम, तिजुड़ी रामदेव के उत्तराधिकारी वारिसान होने से जरिये उत्तराधिकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तथा आज दिन काबिज खातेदार कृषक है, तथा वारिसान होने से ही अप्रार्थीगण 1 से 3 के हक में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण सं. 105 सही भरा गया है, जोधाराम के मंगलीदेवी नाम की कोई पत्नी नही थी तथा न ही तुलछीराम व पुरणमल पुत्र है, इसलिये प्रार्थीगण को जोधाराम की भूमि में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है, अप्रार्थीगण 1 से 3 द्वारा सहखातेदारो की सहमति से बंटवारा किया गया है वह सही है, अप्रार्थीगण 1 से 3 वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उन्हे उक्त अपने हिस्से की भूमि को अन्तरण करने के कानूनी अधिकार प्राप्त है, स्व. जोधाराम की मृत्यु 1983 में हुई थी तथा उनकी मृत्यु के बाद भरे गये नामान्तरकण सं. 105 को प्रार्थीगण ने आज दिन तक चैलेन्ज नही किया है,प्रथम दृष्टया मामला ही प्रमाणित नही है,प्रार्थीगण न तो वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा न ही स्व. जोधाराम के उत्तराधिकारी वारिसान है न ही वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति व असुविधा होगी तथा अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप मे होना संभव नही होगी।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा अप्रार्थी वकील ने भी प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, नकल खतौनी सम्वत 2012–2015 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 10 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा राजकीय भूमि का खाता (क) कृषि योग्य भूमि (अ) नवीन पड़त या एक साल पड़त दर्ज है, सम्वत 2016–2019 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 10 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा राजकीय भूमि का खाता (क) कृषि योग्य भूमि (अ) नवीन पड़त या एक साल पड़त दर्ज है, सम्वत 2020–2023 खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में हीरालाल पुत्र बलदेव पेमा पुत्र हीरालाल 41 बीघा 13 बिस्वा हणमान पुत्र सांवताराम मोहन पुत्र हणमान 22 बीघा 10 बिस्वा कौम गुजर जोधा पुत्र नाथू 12 बीघा 03 बिस्वा कौम कुम्हार सा. कुचामन खातेदार नियमित दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2024–2027 खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:47 IST
Reason: SelfAttested

.....6....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में हीरालाल पुत्र बलदेव पेमा पुत्र हीरालाल 41 बीघा 13 बिस्वा हणमान पुत्र सांवताराम मोहन पुत्र हणमान 22 बीघा 10 बिस्वा कौम गुजर जोधा पुत्र नाथू 12 बीघा 03 बिस्वा कौम कुम्हार सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2028–2031 खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में हीरालाल पुत्र हरदेव पेमा पुत्र हीरालाल 41 बीघा 13 बिस्वा हणमान पुत्र सांवताराम मोहन पुत्र हणमान 22 बीघा 10 बिस्वा कौम गुजर जोधा पुत्र नाथू 12 बीघा 03 बिस्वा कौम कुम्हार सा. कुचामन खातेदार, सम्वत 2031–2034 खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में हीरालाल पुत्र बलदेव पेमा पुत्र हीरालाल 41 बीघा 13 बिस्वा हणमान पुत्र सांवताराम मोहन पुत्र हणमान 06 बीघा 10 बिस्वा कन्हैयालाल गोपीलाल पि. शिवनारायण अग्रवाल 16 बीघा सा. कुचामन जोधा पुत्र नाथू 12 बीघा 03 बिस्वा कौम कुम्हार सा. कुचामन खातेदार, 2035–2038 खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में हीरालाल पुत्र बलदेव पेमा पुत्र हीरालाल 41 बीघा 13 बिस्वा हणमान पुत्र सांवताराम मोहन पुत्र हणमान 06 बीघा 10 बिस्वा कन्हैयालाल गोपीलाल पि. शिवनारायण अग्रवाल 16 बीघा सा. कुचामन जोधा पुत्र नाथू 12 बीघा 03 बिस्वा कौम कुम्हार सा. कुचामन खातेदार, 2039–2042 खसरा नम्बर 15 रकबा 76 बीघा 06 बिस्वा में हीरालाल पुत्र बलदेव पेमा पुत्र हीरालाल 41 बीघा 13 बिस्वा हणमान पुत्र सांवताराम मोहन पुत्र हणमान 06 बीघा 10 बिस्वा कन्हैयालाल गोपीलाल पि. शिवनारायण अग्रवाल 14 बीघा सा. कुचामन सत्यनारायण पुत्र नवरंगराम कौम अग्रवाल सा. नावा 2 बीघा जोधा पुत्र नाथू 12 बीघा 03 बिस्वा कौम कुम्हार सा. कुचामन खातेदार, सम्वत 2047–2050 खसरा नम्बर 288 रकबा 0.36 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 289 रकबा 5.98 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.46 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 294 रकबा 3.04 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.10 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.04 गै.मु.ढ़ाणी कुल रकबा 12.03 में हीरालाल पुत्र हरदेवाराम प्रेमाराम पुत्र हीराराम 6.57 हैक्टर हणमानराम पुत्र सांवताराम मोहरनराम पुत्र हणमानराम 1.03 हैक्टर कौम गुर्जर कन्हैयालाल गोपीराम पि. शिवनारायण अग्रवाल 2.20 हैक्टर सा. कुचामन सत्यनारायण पुत्र नवरंगल[illegible] हैक्टर जोधाराम पुत्र नाथूराम कौम कुम्हार सा. कुचामन 7.93 हैक्टर [illegible] दर्ज है। सम्वत 2056–2059 में खसरा नम्बर 288 रकबा [illegible] नम्बर 289 रकबा 5.98 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 290 रकबा 1.46 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 294 रकबा 3.04 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.10 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 297

.....7......

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.04 गै.मु.ढ़ाणी कुल रकबा 12.03 में भंवरलाल कालुराम सोहनलाल पूसाराम पि. पेमाराम हरकुदेवी बैवा पेमाराम किशनाराम पुत्र हीरालाल प्रेमाराम पुत्र हीराराम 6.57 हैक्टर मोहनराम देवीलाल गोपाल मुनालाल पि. हणमानराम सुगनादेवी व हीरादेवी पुत्रिया हणमानराम मोहरनराम पुत्र हणमानराम 1.03 हैक्टर कौम गुर्जर ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल 2.20 हैक्टर सा. कुचामन सत्यनारायण पुत्र नवरंगलाल अग्रवाल सा. नावां 0.31 हैक्टर सम्पत देवी बैवा रामदेव गोपाल सुरज पि. रामदेव कौम कुम्हार सा. कुचामन 7.93 हैक्टर खातेदार दर्ज है, नामा. सं. 105 अनुसार जोधाराम पुत्र नाथुराम कौम कुम्हार के फौत होने पर सम्पतदेवी बैवा रामदेव गोपाल सुरज पि. रामदेव कौम कुम्हार सा. कुचामन दर्ज किया गया तथा नामा. के कॉलम सं. 14 में अंकित अनुसार जोधाराम फौत दिनॉक 25.07.1983 रामदेव फौत दिनॉक 19.069.1990 तीजादेवी फौत दिनॉक 22.10.1992 मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार एवं संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्रो शपथ पत्र उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के अनुसार नामान्तरकरण फौतगी दर्ज कर बाद जांच स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी सं. 1 से 3 का नाम निरन्तर सहखातेदारान के साथ दर्ज चला आया है। कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2017 2018 2019 में स्थित इन्द्राज जोधाराम पु. कामड़ कौम कुम्हार सा. देह खातेदार के फौत होने पर उसे स्थान पर तुलछीराम पूर्णमल पि. जोधाराम मंगली देवी बैवा जोधाराम पि. कामड. कुम्हार सा. देह का नाम दर्ज किया गया। निर्वाचक नामावली 1990 नगरपालिका कुचामनसिटी के भाग सं. 4 वार्ड सं. 4 के क्र.सं. 857 रामदेव/जोधाराम पु. 38, 857 सम्पती/रामदेव स्त्री 34, 859 तीजा/जोधाराम स्त्री 62 वर्ष अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट नही होता है कि वह जोधारा पुत्र नाथूराम के वंशज रहे हो, उपलब्ध रेकर्ड से साबित है कि प्रार्थीगण जोधाराम पुत्र नाथूराम के वंशज नही होकर जोधाराम पुत्र कामड़ के वंशज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 20.10.18 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:47 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)